

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2026/1174

दिनांक : 03.06.2026

-: आदेश :-

निर्देशानुसार निदेशालय में निम्न चिकित्सक जो आदेशों की प्रतीक्षा में एसआर/पीजी कोर्स व अन्य कारणों से अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं के विधिवत पदस्थापन होने तक हीट-वेव के मध्यनजर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु कार्यव्यवस्थार्थ उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

क.सं.	चिकित्सक का नाम	मोबाइल नं.	सीएमएचओ
1	डॉ० राणा राम, चि.अ. (मेडिसिन) 2020	9166808150	जोधपुर
2	डॉ० रेश्मा खान, व.चि.अ. (गायनी), 2017	8690256910	जोधपुर
3	डॉ० घनश्याम प्रजापत, चि.अ., 2024	6377660646	जोधपुर
4	डॉ० मुकेश कुमार घोंची, चि.अ. (शिशु रोग), 2018	8078664431	पाली
5	डॉ० रमेश चौहान, चि.अ., 2025	9460518079	वालोतरा

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 03.06.2026

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2026/1174

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-राज०।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त चिकित्सकों को आपके अधीन संचालित चिकित्सक विहीन संस्थानों में/रिक्त पदों पर आवश्यकता के आधार पर कार्यव्यवस्थार्थ लगाना सुनिश्चित करें तथा उक्त चिकित्सकों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित चिकित्सकों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।
- प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।